राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—: प्रेस नोट :—

दिनांक :— 23-05-2022

राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 तथा विशेष योग्यजन के लिये परिपत्र दिनांक 01.12.2021 को जारी कर न्यूनतम उत्तीर्णांकों में छूट दिये जाने का प्रावधान लागू किया गया है। आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के लिये विभिन्न पदों हेतु जारी किये गये विज्ञापनों में जहाँ संबंधित सेवा नियमों के अनुसार न्यूनतम उत्तीर्णांकों का प्रावधान विहित है, उनके अंतर्गत राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक का आमेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2021 में न्यूनतम उत्तीर्णांकों में दी गई छूट के प्रावधान के अनुसार परिणाम जारी करते समय छूट/रियायत दी जायेगी।

(एच.एल. अटल)
सचिव